न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर. ए. एस. प्रथम लिंक अधिकारी

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./51/2025/बाड़मेर.

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट्स
डूंगरसिंह पुत्र तगसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी झाबरा(माडवा), तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर।		1. इन्द्रसिंह पुत्र आम्बसिंह 2. करणसिंह पुत्र आम्बसिंह 3. कंवरसिंह पुत्र आम्बसिंह 4. झबरसिंह पुत्र आम्बसिंह 5. सांवलसिंह पुत्र आम्बसिंह 6. रामकंवर पत्नी आम्बसिंह, जाति राजपुत, निवासी माडवा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर 7. कमला पत्नी मुल्तानसिंह 8. देवीसिंह पुत्र मुल्तानसिंह 9. मुकनसिंह पुत्र मुल्तानसिंह 10. मोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह 11. खेमसिंह पुत्र भंवरसिंह 12. ताजो देवी पत्नी भंवरसिंह 13. रेंवतसिंह पुत्र भीखसिंह 14. लक्ष्मणसिंह पुत्र भीखसिंह 15. पुरखसिंह पुत्र भीखसिंह 16. स्वरूपसिंह पुत्र तगसिंह 17. सवाईसिंह पुत्र तगसिंह 18. किशनसिंह पुत्र तगसिंह 19. मदनसिंह पुत्र तगसिंह 20. सायर कंवर पत्नी तगसिंह 21. मुकनसिंह पुत्र मुल्तानसिंह, जातियान राजपुरोहित, निवासी झाबरा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर 22. अम्बाराम पुत्र तुलछाराम जाट 23. मगाराम पुत्र तुलछाराम, जाति जाट, निवासी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	बल्लुसिंह की ढाणी, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर 24. सुगन कंवर पत्नी गजेसिंह 25. अमरसिंह पुत्र गजेसिंह, जाति राजपुत, निवासी माडवा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर 26. आईदानसिंह पुत्र सुरतसिंह 27. जुगतसिंह पुत्र सुरतसिंह 28. नखतसिंह पुत्र सुरतसिंह 29. नारायणसिंह पुत्र सुरतसिंह 30. प्रेमसिंह पुत्र सुरतसिंह 31. देव कंवर पत्नी सुरतसिंह 32. कर्णसिंह पुत्र रूपसिंह, जाति राजपुत, निवासी माडवा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर 33. रतनसिंह पुत्र प्रतापसिंह, जाति राजपुत, निवासी गांधीनगर हाल निवासी माडवा तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर 34. सोमा पुत्र रामजी, जाति रबारी निवासी गांधीनगर हाल जाति राजपुत, निवासी माडवा तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर 35. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, पोकरण 36. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, पोकरण 37. पंजाब नेशनल बैंक शाखा, पोकरण 38. तहसीलदार, भणियाणा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 126/2023 बउनवान इन्द्रसिंह बनाम कर्णसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12.09.2025 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित:—

1. वकील श्री श्रवण कुमार चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री वेद नृप राणजीओत रेस्पों. संख्या 01 की ओर से।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

3. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पों. संख्या 36 की ओर से।
4. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक:—13.05.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी आराजी जो कि मौजा मांडवा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर के खसरा संख्या 421 रकबा 44.5154 हेक्टर में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में प्रार्थी ने निवेदन किया कि हमारे पडौस में विप्रार्थी/अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 434 व 435 की भूमि जो प्रार्थी/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, इस आवेदन मे अपीलान्ट को खेत खसरा नम्बर 434 का रेकर्ड खातेदार होते हुए भी उतरदाता संख्या 1 द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया ओर बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये ओर बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये प्राकृतिक न्याय ओर विधि के सिद्वान्तो का उल्लघंन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण मे निर्णय दिनांक 12.09.2025 को पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय एवं विधि के सिद्धान्तो के विरूद्ध है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिससे अपीलांट के हितों का कुठाराघात हुआ, जिसके व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्राप्त है। जिस पर वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं समस्त आदेशिकायें पत्रावली में प्रमाणित उपलब्ध है। अतः बहस सुन ली जाये। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी आराजी जो कि मौजा मांडवा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर के खसरा संख्या 421 रकबा 44.5154 हेक्टर में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में प्रार्थी ने निवेदन किया कि हमारे पडौस में अपीलांट के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 434 व 435 की भूमि जो प्रार्थी/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, इस आवेदन मे अपीलान्ट को खेत खसरा नम्बर 434 का रेकर्ड खातेदार होते हुए भी उतरदाता संख्या 1 द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया ओर बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये ओर बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये प्राकृतिक न्याय ओर विधि के सिद्वान्तो का उल्लघंन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण मे निर्णय दिनांक 12.09.2025 को पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय एवं विधि के सिद्धान्तो के विरूद्ध होने से विधि अनुसार प्रतीत नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण की अपीलाधीन आराजी खेत खसरा नम्बर 434 रकबा 8.4498 हेक्टेयर मौजा मांडवा, तहसील भणियाणा,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिला जैसलमेर का अपीलान्ट रेकर्डेड खातेदार है। नकल जमाबंदी अपील के साथ पेश की जा रही है लेकिन उतरदाता संख्या 1 ने जानबुझकर खेत खसरा नम्बर 434 की जमाबंदी अधीनस्थ न्यायालय मे पेश नहीं कर न्यायालय को गुमराह करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया। खतौनी खसरा नम्बर 434 मौजा माडवा राजस्व रिकोर्ड है जिसकी प्रमाणिकता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है किसी भी रेकर्डेड खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं उसे बिना पक्षकार बनाये उसके विरूद्ध कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता यही विधि की मंशा है। लेकिन हस्तगंत प्रकरण मे अपीलान्ट रेकर्डेड खातेदार होते हुए भी उसे बिना पक्षकार बनाये बिना सुनवाई का अवसर दिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2025 विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व हस्तगत प्रकरण की अपीलाधीन आराजी से सम्बन्धित खसरा नम्बरान् की भूमि के राजस्व रेकर्डेड खातेदार की पूर्ण जांच कर सभी पक्षकारान् को पक्षकार संयोजित कर निर्णय पारित करना था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकिया की पालना नहीं की ओर अपीलान्ट जो अपीलाधीन भूमि का रेकर्डेड खातेदार था उसको बिना पक्षकार संयोजित किये बिना उसे सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो विधिक प्रकिया का घोर उल्लघंन है। अपीलान्ट हस्तगत प्रकरण की अपीलाधीन आराजी खसरा नम्बर 434 का रेकर्डेड खातेदार है, इस भूमि पर अपीलान्ट वक्त बन्दोबस्त से आज तक अपनी ढाणिया बनाकर कब्जा–काश्त करता आ रहा है लेकिन उतरदाता संख्या 1 ने अपीलान्ट के साथ षडयंत्र करते हुए अपीलान्ट के हक हकुको को नुकसान पहुंचाने के लिए उतरदाता संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं एसडीओ भणियाणा मे दायर अपीलाधीन मूल प्रार्थना पत्र 126/2023 में अपीलान्ट को जानबुझकर पक्षकार नहीं बनाया जिससे अपीलान्ट के हितो पर भारी कुठाराघात हुआ।

उक्तानुसार अपीलांट को हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को ना तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई। बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए दूषित मंशा से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अनुसार पूर्व से प्रयोग में लिये जा रहे कदीमी रास्ते को ही स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाता है। जबकि अपीलांट के खसरा में से कोई कदीमी रास्ता प्रचलित नहीं है। प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर अपीलांट की ढाणी, टांका व बाड़ आदि बने हुए हैं। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील अपीलांट ने धारा 96 अपील अनुमति के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी रेकार्डेड खातेदार हैं। रेस्पोडेंटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश आवेदन में अपीलांटस को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। इस कारण अपीलार्थीगण उक्त आलोच्य आदेश से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन आदेश से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने धारा 96 अपील अनुमति के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का वर्तमान खातेदार हैं अगर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है तो रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 96 सी.पी.सी. अपील अनुमति पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी का रेकार्डेड खातेदार है। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी का हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार ठहरता है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार योग्य है।

लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुति की अनुमति दी जाती है।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स जो हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है जिसकों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पक्षकार संयोजित किये ही आलोच्य आदेश पारित आदेश पारित किया गया है। उक्तानुसार अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त तथ्यों के अनुसार अपीलाधीन आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 –ए के मूल सिद्धान्तों के विपरीत प्रतीत होता है। उक्तानुसार अपीलांट को सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है लेकिन रास्तें के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 126/2023 बउनवान इन्द्रसिंह बनाम कर्णसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12.09.2025 को अपास्त किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाता है कि वादग्रस्त आराजी के सभी रेकार्डेड खातेदार को पक्षकार संयाजित करते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में वर्तमान मौका अनुसार रिपोर्ट तलब कर वास्तविक मौके अनुसार ही उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत गुणावगुण पर आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ निर्णय प्रति प्रेषित की जावे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
प्रथम लिपिक अधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर